



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



AFFIDAVIT

Before: The Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

I, **Ramnandanam Pandey**, S/o Shri Omprakash Pandey being the Authorized signatory of **Imapctum Lands Pvt. Ltd.** (said Company), having its Regd. Office situated at 7th Floor, 1 Aerocity Building, NIBR Compound Mohili Village, Sakinaka, Safed Pool, Mumbai 400072, India, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

1. I state that the intent of the Company is to Develop project "The Raas (ID1708533)" in Vrindavan Uttar Pradesh for which company has applied for necessary permissions and approvals with various authorities including RERA Authority for registration under RERA, 2016.

2. I state that exchange order dated 17.10.2025 bearing reference no. **85/अपिओ/अधि० सहा०/2025/26** ("said Order") has been passed by the Office of

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
S. P. Srivastava
Saty Prakash Srivastava
Advocate & Notary

30-10-25

Divisional Commissioner, Agra, for exchange of Land, description of which is more particularly mentioned therein. Hereto annexed and marked as Ex-A is a copy of the said Order.

3. I state that while passing the said Order the Authority imposed certain conditions as mentioned in the said Order to be complied with by the Company in respect to the exchange of the Land. Further amount of Rs 400000 w.r.t. exchange fees has also been submitted to DM Mathura. Hereto annexed and marked as Ex-B is a copy of the said challan.
4. I state that in accordance to the said Order we undertake to comply with all the conditions mentioned therein. Further we will keep the road area intact with gates at both sides.
5. That I undertake to submit the updated revenue record documents after mutating promoter's name before the RERA Authority without any delay.
6. That we hereby undertake to comply with all provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, along with the rules and regulations made thereunder, and we assume full responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the information and particulars stated herein.



Verification

Ramnandanam Pandey, S/o Shri Omprakash Pandey being the Authorized signatory of M/s Imapctum Lands Pvt. Ltd., having its Regd. Office situated at 7th Floor, 1 Aerocity Building, NIBR Compound Mohili Village, Sakinaka, Safed Pool, Mumbai 400072 India, do hereby declare that the contents in para No.1 to 4 of my above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and I believe the same to be true.

This Affidavit is verified at Lucknow on 30.10.2025


Deponent

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

S. P. Sriv

Satya Prakash Srivastava

Advocate & Notary

Lucknow U.P. India

30-10-25

Sworn and Identify the deponent
as stated/out T1 before

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या 85 / भूमि अधि सहा 0 / 2025-26

दिनांक: अक्टूबर, 17, 2025

आदेश

कृपया जिलाधिकारी, मथुरा के पत्र संख्या-264/सात-बी/भूव्य0/2025 दिनांक 14.10.2025 के अन्तर्गत इम्पैक्टम लैंड्स प्रा0लि0 अधिकृत हस्ताक्षरी जिग्नेश नरेन्द्र गोसल्या निवासी-बी-25 माधव कुटीर चन्द्रोदय मंदिर, अक्षयपात्र फाउंडेशन वृन्दावन, मथुरा के दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के क्रम में मौजा जुल्हैदी के खाता संख्या-220 खसरा संख्या-88 रकवा 0.202 हे0 में से 0.0400 हे0 का विनिमय संस्था की निजी संकमणीय भूमिधरी मौजा जुल्हैदी के खाता संख्या-76 खसरा संख्या-63 रकवा 6.9040 हे0 में संस्था का रकवा 4.8627 हे0 में से रकवा 0.0400 हे0 भूमि के विनिमय हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में संस्तुति सहित प्राप्त कराया गया है।

2. जिलाधिकारी, मथुरा ने अपनी आख्या दिनांक 14.10.2025 में अंकित किया है कि इम्पैक्टम लैंड्स प्रा0लि0 द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा-101 उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत मौजा जुल्हैदी तहसील व जनपद मथुरा स्थित भूमि खसरा संख्या-88 रकवा 0.202 हे0 जो कि चकमार्ग के रूप में दर्ज कागजात है, में से रकवा 0.0400 हे0 का विनिमय अपनी निजी भूमि खसरा संख्या-63 रकवा 6.904 हे0 में से भूमिधर/संस्था का अंश/क्षेत्रफल 4.8627 हे0 में से रकवा 0.0400 हे0 से विनिमय करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सन्दर्भित विनिमय किये जाने वाली भूमि का विवरण निम्नवत है :-

चकमार्ग की भूमि

ग्राम का नाम	कम्पनी की परिसीमा में स्थित संहिता की धारा 77 से आच्छादित भूमि का विवरण					विनिमय में कम्पनी से प्राप्त भूमि का विवरण				
	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल हे0 में	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल हे0 में	भूमि श्रेणी/प्रकृति	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मूल्य (37 लाख रू0 प्रति हे0)	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल हे0 में	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल हे0 में	भूमि श्रेणी/प्रकृति	जिलाधिकारी कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट कृषिक भूमि 37 लाख रू0 प्रति हे0 के अनुसार भूमि का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जुल्हैदी	88	0.202	0.0400	6-2 (चकमार्ग)	16,00,000	63	6.9040 (कम्पनी का रकवा 4.8627 हे0)	0.0400	कृषक (संकमणीय अधिकार प्राप्त भूमिधर)	16,00,000

3. भूमि प्रबंधक समिति का विनिमय संबंधी सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव दिनांक 22.07.2025 संलग्न है। प्रस्तावित भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-80 अथवा उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-143 के तहत गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु घोषित नहीं है किन्तु उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की अधिसूचना पत्र संख्या-19/नियोजन/म0वृ0वि0प्रा0/2025-26 दिनांक 01.08.2025 के अनुसार संस्था की भूमि खसरा संख्या-63 का भू-उपयोग कृषि से आवासीय किया जा चुका है। संस्था की विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के गाटा संख्या-63 के अन्य सहखातेदारों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं न ही विनिमय हेतु सहमति प्रस्तुत की गई है। विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि तालाब/पोखर/घौला इत्यादि की भूमि नहीं है। प्रस्तावित भूमि कब्रिस्तान, श्मशान तथा अन्य धार्मिक स्थल की भूमि नहीं है। इस कारण धार्मिक उत्तेजना की आशंका नहीं है। विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि चकमार्ग की भूमि है। उक्त भूमि का उपयोग डेवलपर्स द्वारा लोगों को अफोरडेबिल हाउसिंग के लिये उ0प्र0 टाउनशिप नीति-2023 के रूप में डेवलप करना है इसके डेवलपमेंट से आसपास के लोगो व क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। संस्था द्वारा

उ०प्र० टाउनशिप नीति-2023 के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किये जाने में ग्राम समाज (चकमार्ग) की भूमि मध्य में आ रही थी जिसकी वजह से टाउनशिप के ले-आउट में गम्भीर बाधा उत्पन्न हो रही थी। शासन की मंशा के अनुरूप जनहित, लोगों तथा डेवलपर्स का ध्यान रखते हुए सरकारी जमीन का विनिमय न्यायहित एवं जनहित में है। सरकारी भूमि के बदले समान भूमि एवं समान कीमत एवं बेहतर जगह पर ग्राम सभा को उपलब्ध कराई गई है, जिससे सरकार को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है बल्कि विनियमित भूमि रास्ता/चकमार्ग का उपयोग अन्य भूमि के काश्तकारों के कृषि उपयोग हेतु किया जायेगा। गाटा संख्या-88 (चकमार्ग भूमि) का विनिमय गाटा संख्या-63 (संस्था की भूमि) से किया जा रहा है। संस्था की भूमि गाटा संख्या-63 से ग्राम सभा को प्राप्त भूमि-63 के अन्य व आस-पास के कृषि काश्तकारों के लिये उपयुक्त भूमि है। संस्था कम्पनी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि संस्था को विनिमय से प्राप्त गाटा संख्या-88 (चकमार्ग) से किसी भी काश्तकार को आने जाने व कृषि भूमि के कृषि उपयोग के लिये रोका नहीं जायेगा। यह रास्ता स्थानीय निवासियों के लिये चालू रहेगा। मौजा जुल्हैदी तहसील सदर जिला मथुरा के खाता संख्या-220 खसरा संख्या-88 कुल रकवा 0.202हे० में से 0.0400हे० का विनिमय संस्था की निजी संकमणीय भूमिधरी मौजा जुल्हैदी के खाता संख्या-76 खसरा संख्या-63 कुल रकवा 6.9040 हे० में संस्था का रकवा 4.8627हे० में से 0.0400हे० विनिमय किये जाने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

4. शासनादेश संख्या-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर 4(3) में व्यवस्था दी गयी है कि "सुरक्षित श्रेणी की भूमियों की श्रेणी में परिवर्तन एवं विनिमय की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास से श्रेणी परिवर्तन शुल्क कलक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत के बराबर लेखा शीर्षक 0029-मू०रा०-800 अन्य प्राप्तियां-08 मालिकाना राजस्व-0806 प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कराया जायेगा।" शासनादेश के अनुसार उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुरक्षित श्रेणी की भूमि गाटा संख्या-88 (चकमार्ग भूमि) का विनिमय गाटा संख्या-63 (संस्था की भूमि) से किया जा रहा है जिसके श्रेणी परिवर्तन एवं विनिमय हेतु श्रेणी परिवर्तन शुल्क जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत बराबर मु० 4,00,000/-रु० (रूपये चार लाख रुपये मात्र) होता है, जिसको उपरोक्त लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना आवश्यक है।

5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार होने की सम्भावनाओं, लोकहित में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 14.10.2025 एवं संस्था/इम्पैक्टम लैंड्स प्रा०लि० अधिकृत हस्ताक्षरी जिग्नेश नरेन्द्र गोसल्या द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 16.10.2025 से सहमत होते हुए शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.6.2016, अधिसूचना संख्या-3/2021/217/एक-1-2020-रा०-1 दिनांक 10.02.2021 एवं अधिसूचना संख्या-15/2023/731/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03.8.2023 में उल्लिखित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संस्था/इम्पैक्टम लैंड्स प्रा०लि० अधिकृत हस्ताक्षरी जिग्नेश नरेन्द्र गोसल्या निवासी-बी-25 माधव कुटीर चन्द्रोदय मंदिर, अक्षयपात्र फाउंडेशन वृन्दावन, मथुरा की आवश्यकता तथा जनहित/शासकीय हित में यह आवश्यक है कि नीचे अंकित तालिका के कॉलम संख्या-7 में अंकित गाटा संख्या-63 रकवा 6.9040हे० में संस्था का रकवा 4.8627हे० में से रकवा 0.0400 हे० तथा तालिका के कॉलम-2 में अंकित ग्राम सभा की सुरक्षित श्रेणी/चकमार्ग की भूमि गाटा संख्या-88 रकवा 0.2020 हे० में से 0.0400हे० का संस्था/निजी कम्पनी इम्पैक्टम लैंड्स प्रा०लि० की निजी भूमि श्रेणी 1-क संकमणीय भूमिधर श्रेणी की भूमि से नियमानुसार विनिमय (Exchange) किया जाए। यह आदेश जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा निर्धारित श्रेणी परिवर्तन शुल्क नियमानुसार जमा कराने के पश्चात ही प्रभावी होगा। जिलाधिकारी, मथुरा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि इम्पैक्टम लैंड्स प्रा०लि० अधिकृत हस्ताक्षरी जिग्नेश नरेन्द्र गोसल्या निवासी-बी-25 माधव कुटीर चन्द्रोदय मंदिर, अक्षयपात्र फाउंडेशन वृन्दावन, मथुरा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांकित 30.09.2025 व 16.10.2025 में अंकित बिन्दु संख्या-04 में उल्लिखित "गाटा संख्या-88 चकमार्ग से प्रभावित गाटा संख्या-72,82,84 एवं 85 के खातेदार कार्य योजना के मध्य विकसित मार्ग का प्रयोग अपनी अपनी आराजी तक पहुंच के लिए कर सकते हैं। विकास कर्ता इम्पैक्टम लैंड्स प्रा०लि० को उपरोक्त गाटा संख्या के खातेदारों को संलग्न नक्शा अनुसार मार्ग का प्रयोग करने से कोई

आपत्ति नहीं है। गाटा संख्या 88 सार्वजनिक उपयोग की चकमार्ग भूमि को इम्पैक्टम लैंड्स प्रा0लि0 द्वारा योजना में प्रस्तावित 09 मीटर मार्ग को विकसित किया जाएगा, जो कि हमारे कॉलोनी के ले-आउट प्लान में दर्शित/हाइलाइटेड है, जो कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा स्वीकृति है तथा पत्रावली के साथ संलग्न है। भविष्य में इस चकमार्ग संख्या-88 के दोनों तरफ गेट लगाकर प्रभावित गाटा संख्या-72,82,84 व 85 के किसानों के आवागमन हेतु उपलब्ध रहेगा।" का अनुपालन मौके पर सुनिश्चित कराये जिससे भविष्य में गाटा संख्या-72,82,84 व 85 के काश्तकारों को चकमार्ग के आवागमन के उपभोग पर कोई परेशानी न हों।

6. चूंकि ग्राम सभा एवं निजी संस्था की भूमि का पारस्परिक विनिमय होने पर दोनों भूमियों की उपयोगिता में श्रेणी परिवर्तन प्रस्तावित है, इसलिये शासनादेश संख्या-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.6.2016, शासनादेश-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.6.2016, अधिसूचना संख्या-3/2021/217/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 10.02.2021 एवं अधिसूचना संख्या-15/2023/731/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03.8.2023 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, शैलेन्द्र कुमार सिंह, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा जनहित/शासकीय हित में निम्नलिखित अनुसूची में प्रदर्शित भूमि की निम्नानुसार श्रेणी परिवर्तन करने का आदेश देता हूँ :-

चकमार्ग (मार्ग) की भूमि

ग्राम का नाम	विनिमय में कम्पनी से प्राप्त भूमि का विवरण जो धारा 80 के अन्तर्गत घोषित नहीं है।					कम्पनी की परिसीमा में स्थित उ0प्र0राजस्व संहिता,2006 की धारा 77 से आच्छादित भूमि का विवरण				
	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल हे0 में	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल हे0 में	भूमि श्रेणी/ प्रकृति	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मूल्य (37 लाख रू0 प्रति हे0)	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल हे0 में	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल हे0 में	भूमि श्रेणी/ प्रकृति	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जुल्हेंदी	63	6.9040 (कम्पनी का रकवा 4.8627हे0)	0.0400	संकमणीय भूमिधर	16,00,000	88	0.202	0.0400	6-2 (मार्ग)	16,00,000

उपरोक्त तालिका के कॉलम -8 में अंकित ग्राम जुल्हेंदी, तहसील सदर, जनपद मथुरा स्थित गाटा संख्या-88 रकवा 0.2020 हे0 श्रेणी-6-2 चकमार्ग में से 0.0400 हे0 की भूमि इम्पैक्टम लैंड्स प्रा0लि0 अधिकृत हस्ताक्षरी जिग्नेश नरेन्द्र गोसल्या निवासी-बी-25 माधव कुटीर चन्द्रोदय मंदिर, अक्षयपात्र फाउंडेशन वृन्दावन, मथुरा की भूमि समझी जायेगी, जो संकमणीय भूमि होगी।

उपरोक्त तालिका के कॉलम-2 में अंकित ग्राम जुल्हेंदी, तहसील सदर, जनपद मथुरा स्थित इम्पैक्टम लैंड्स प्रा0लि0 अधिकृत हस्ताक्षरी जिग्नेश नरेन्द्र गोसल्या निवासी-बी-25 माधव कुटीर चन्द्रोदय मंदिर, अक्षयपात्र फाउंडेशन वृन्दावन, मथुरा की भूमि गाटा संख्या-63 रकवा 6.9040 हे0 में संस्था का रकवा 4.8627हे0 में से 0.0400 हे0 भूमि श्रेणी (सं0भू0-श्रेणी-1-क) अब चकमार्ग (श्रेणी 6-2) की भूमि समझी जायेगी, जो अब सुरक्षित श्रेणी चकमार्ग (श्रेणी 6-2) की भूमि कहलायेगी।


7. अतः एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि जिलाधिकारी, मथुरा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अधिकार अभिलेख (खतौनी) में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी मथुरा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व अभिलेखागार एवं लेखपाल पर उपलब्ध राजस्व मानचित्र में क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तदनुसार संशोधन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त उद्धरण खतौनी एवं राजस्व भूचित्र की प्रति सहित अनुपालन आख्या विलम्बतम 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी मथुरा को उनके पत्र संख्या-264/सात-बी/भू0व्य0/2025 दिनांक 14.10.2025 के क्रम में तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 4- इम्पैक्टम लैंड्स प्रा0लि0 अधिकृत हस्ताक्षरी जिग्नेश नरेन्द्र गोसल्या निवासी-बी-25 माधव कुटीर चन्द्रोदय मंदिर, अक्षयपात्र फाउंडेशन वृन्दावन, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त

Date:- 18/10/2025

सेवा में

माननीय जिलाधिकारी महोदय,
मथुरा।

महोदय जी,

अवगत करना है कि आयुक्त आगरा के आदेश संख्या 85/मु.मि.आ.घ.सहा/2025-26, दिनांक: 17/10/2025 के अनुपालन में, M/s Impactum Lands Pvt. Ltd, बारा मथुरा के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा मथुरा में चालान संख्या 101416 दि: 18/10/2025 के माध्यम से मौलिक चार लाख रुपये (Rs. 4,00,000/-) जमा कर लिया गया है। चालान के मूल प्रति संलग्नकर प्रस्तुत है।

IMPACTUM LANDS PRIVATE LIMITED

Director / Authorized Signatory



संलग्न:- चालान के मूल प्रति।

कोषागार प्रपत्र-209(1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43ए(1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
2. पता -

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, मथुरा
इम्पैक्टम लैंड्स प्रा0लि0 अधिकृत हस्ताक्षरी जिग्नेश नरेन्द्र गोसल्या

निवासी बी-25 माधव कुटीर चन्द्रोदय मंदिर अक्षयपात्र
फाउंडेशन वृन्दावन, मथुरा

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या....
(यदि आवश्यक हो)

आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के आदेश संख्या-85/भूमि0
अधि0सहा0/2025-26 दिनांक 17-10-2025

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

भूमि के श्रेणी परिवर्तन के शुल्क की धनराशि

5. चालान की सकल धनराशि
6. चालान की निबल धनराशि
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर

4,00,000-00 रू0

4,00,000-00 रू0

0029 भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08 मालिकाना राजस्व-0806
प्रकीर्ण प्राप्तियों

8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक

उप मुख्य शीर्षक

लघु शीर्षक

0 0 2 9

0 0

8 0 0

उप-शीर्षक

व्यौरेवार शीर्षक

धनराशि (अंकों में)

0 8

08 06

4,00,000-00 रू0

धनराशि (शब्दों में) ...रू0 चार लाख मात्र.....

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित



योग

4,00,000-00 रू0

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ


चालान संख्या:

5101416



अंकों में रू0
शब्दों में रू0

दिनांक:



प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित

CERTIFIED TRUE COPY OF RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF IMPACTUM LANDS PRIVATE LIMITED ON 18TH SEPTEMBER 2024.

"RESOLVED THAT in supersession of the earlier resolutions passed by the Board of Directors on 21st July 2024, the consent of the Board be and is hereby accorded to authorize, severally, **Mr. Ashwinder Matharu and Mr. Rakesh Gupta, Directors of the Company along with Mr. Jignesh Gosalia, Mr. Mayank Shah, Mr. Ramanandanam Pandey and Mr. Harsh Aurangabadwalla** as Authorized Signatory on behalf of the Company to:

- a) To enter into any Memorandum of understanding, Development Agreement, Joint Development Agreement, Power of Attorney, Agreement for Sale, Sale Deed, Deed of Conveyance, Consent Deed, Deed of Confirmation, Deed of Cancellation, Deed of Rectification, Deed for Extra Possession, Exchange Deed, Escrow Agreement, Agreement for Promotion, Deed of Settlement/s, Advertisement, Possession Letter and such documents pertaining to acquisition of the property situate, lying and being at **Village Julhendi and Village Konhai , Tehsil – Sadar , Janpad Mathura admeasuring approximately 100 Acres ("said Land")** present or in future or any other property in the state of Uttar Pradesh to be undertaken by Company;
- b) To enter into Term Sheet, Letter of Intent, Letter of Understanding and such other documents required for initialization of the deal and negotiate with landowners, their advocates, and consultants for the same;
- c) To execute and register, present for registration any and all documents pertaining to the said Land and / or Projects on the said Land including other documents not specifically stated hereinabove in point no. (a) and (b) and to do all acts, deeds, actions in relation to acquisition, development, disposition of the said Land/ any part thereof as mentioned hereinabove;
- d) To apply to the Collector (District Magistrate), Town Planning Authority, Mathura Vrindavan Development Authority, Sub-Divisional Magistrate, Additional District Magistrate , Tahsildar, Revenue Officer, Talathi, MD/Chief Engineer / Executive Engineer of UP Power Corporation Limited, Commissioner / Additional commissioner of Nagar Nigam, Divisional commissioner, Police department : SSP/SP/& all police station heads of Mathura.UP Nivesh Sarathi, Mathura, Forest Department, Chief Engineer / Executive Engineer of UP Housing Board (UP Awas Vikas) or any such Board, Irrigation, and Registrar and sub registrar, and executive engineer, Badh Khand (flood management authority), District Disaster Management Authority, Mathura and all other government offices, and authorities, for seeking permissions, sanctions, licenses, approvals, No Objection Certificates (NOC), including but not limited to Non-Agricultural Permission in respect of either of or all of the land parcels mentioned hereinabove for the purpose of development of the Project and to do all actions to effectuate complete development of the Project;
- e) To apply for revision/ amendment of Non-Agricultural permission, Taluka Inspector of Land Records (T.I.L.R), any other government authorities, revenue authorities, local authorities, local municipal authorities for seeking permissions, sanctions licenses etc;
- f) To carry out such other things and execute, register, notarize such other documents, applications, NOCs as may be required for the acquisition of the said Land / any part thereof or Projects undertaken by the Company;

IMPACTUM LANDS PRIVATE LIMITED

Regd. Off: 701 Unit, 7th Floor, 1 Aerocity Building, NIBR Compound, Mohili Village, Sakinaka, Safed Pool, Mumbai 400072.

CIN No.: U70109MH2021PTC373746 | **GST No.:** 27AAGCI4607Q1Z2 | **✉**compliance@hoabl.in | **☎**022-71519000

- g) To sign all documents including Agreement for Sale, Deed of Sale, Deed of Conveyance, Deed of Settlements, Deed of Confirmation, Deed of Cancellation, Deed of Rectification, Escrow Agreement, Possession Letter and such other documents to be executed and registered with the customers in respect of the Project;
- h) To appear before the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP RERA), Uttar Pradesh RERA Appellate Tribunal, and other authorities and to sign, verify and execute all documents including complaints, suits, petitions, replies, rejoinders, affidavits, declarations and such other documents in Uttar Pradesh as well as in any other states to safeguard the interest of the Company;
- i) To sign, verify and execute all documents including complaints, suits, petitions, replies, rejoinders, affidavits, declarations, vakalatnamas and such other documents to safeguard the interest of the Company;
- j) To sub delegate all or any powers hereby conferred to other Officers/Officers of the Company, external consultants, professionals, lawyers etc. as he may think fit and proper in the interest of the Company;
- k) To do and execute such other things as may be required in respect of the aforementioned properties from time to time;

RESOLVED FURTHER THAT the Directors of the Company be and are hereby severally authorized to certify the resolution and issue the same to all concerned parties."

//Certified True Copy//

For and on behalf of

IMPACTUM LANDS PRIVATE LIMITED

RAKESH
RAMDAS
GUPTA

Digitally signed by
RAKESH RAMDAS
GUPTA
DN: cn=RAKESH RAMDAS
GUPTA, o=IMPACTUM
LANDS PRIVATE LIMITED

Rakesh Gupta
Director
DIN: 10241667

Date: 19/09/2024
Place: Mumbai

IMPACTUM LANDS PRIVATE LIMITED

Regd. Off: 701 Unit, 7th Floor, 1 Aerocity Building, NIBR Compound, Mohili Village, Sakinaka, Safed Pool, Mumbai 400072.

CIN No.: U70109MH2021PTC373746 | **GST No.:** 27AAGCI4607Q1Z2 | **✉**compliance@hoabl.in | **☎**022-71519000